

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092020-221612 CG-DL-E-08092020-221612

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2699] No. 2699] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 2020/भाद्र 16, 1942 NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2020/BHADRA 16, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2020

का.आ. 3031(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1942(अ), तारीख 11 जून, 2019, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 11 जून, 2019 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, बुक्सा बाघ रिज़र्व (बी.आर.टी) पश्चिम बंगाल, अलीपुरद्वार जिले में 760.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र स्थित है। यह, संकोश और तोरशा नदी, के बीच में उत्तर बंगाल और असम में जंगली हाथियों की संख्या को बनाए रखने के लिए एक गिलयारे है। यह गौर, तेंदुओं, बिल्लियों, अन्य शाकाहारी और पिक्षयों, और तितिलयों की कई प्रजातियों का पर्यावास है। इसका अलीपुरद्वार जिला के वनों के भू-दृश्य तथा उनके विविध मानवजातीय सिहत इसके वन, नदी पारिस्थितिकी तंत्र और आसपास के चाय बगानों और ग्रामों से बहुत महत्त्व है;

और, बुक्सा बाघ रिज़र्व में संपूर्ण पूर्व बुक्सा वन संभाग (702.44 वर्ग किलोमीटर) और कूच बिहर वन संभाग का 58.43 वर्ग किलोमीटर का एक भाग के सम्मिलित है, जिसे बाद में जोड़ा गया था। यह रिज़र्व अक्षांश 26°30′ और 26°55′ उ और देशांतर 89°20′ और 89°55′ पू के बीच स्थित है;

4140 GI/2020 (1)

और, बुक्सा बाघ रिज़र्व पश्चिम से पूर्व तक 50 किलोमीटर तक और उत्तर से दक्षिण, तक 35 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रिज़र्व वन का कुल क्षेत्रफल 760.87 वर्ग किलोमीटर है जिसमें से 390.580 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान और रिज़र्व वनों और शेष 370.29 वर्ग कि.मी. को अन्य संरक्षित वन क्षेत्रों बनाया गया है;

और, बुक्सा बाघ रिज़र्व वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की अनुसूची-I के अधीन विनिर्दिष्ट कई प्रजातियों का आश्रय प्रदान करता है जिसमें भारतीय हाथी (एलिफस मैक्सीमूस), गौर (बोस गौरस). तेंद्आ (पेन्थेरा प्रड्यूस), इंडियन राक पायथन(पायथन मृलयरूस). मालापत विशाल गिलहरी (रतुफामाकुरोउरा), तेंदुआ बिल्ली(परीओनालीलरूस बेनदालेन्सीस). मत्स्य पालन बिल्ली (फेलिसविइरींना). हिल मैना(गराकूला रेलीगीओसा), भारतीय मटरमुर्गा (पावोकरिस्टेटुस), भारतीय ग्रे धनेश (ओकयरूसबिरोस्टिरिस), आदि सम्मिलित है;

और, बाघ रिज़र्व की इस वनस्पित और जीवजंतु जैव-विविधता के प्रभावी संरक्षण और सुरक्षा के लिए मानवजित विभिन दबावों को विनियमित किया जाना चाहिए क्योंकि पारिस्थितिकी दृष्टि से काफी संवेदीशील है जो इस संरक्षित क्षेत्र पर काफी प्रभाव डालते हैं;

और, बुक्सा बाघ रिज़र्व के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधिता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाघ रिज़र्व की सीमा के चारों ओर शून्य (संरक्षित क्षेत्र के पूर्वी भाग में असम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा और उत्तरी सीमा की ओर भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कारण है) से 5 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र बुक्सा बाघ रिज़र्व को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

- 1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार बुक्सा बाघ रिज़र्व के चारों ओर शून्य (संरक्षित क्षेत्र के पूर्वी भाग में असम के साथ अंत:राज्यीय सीमा और उत्तरी सीमा की ओर भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कारण है) से 5 किलोमीटर तक है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 583.15 वर्ग किलोमीटर है।
- (2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध ।** के रुप में संलग्न है।
- (3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र उपाबंध II के रुप में संलग्न है।
- (4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध III** की सारणी **क** और सारणी **ख** के रुप में संलग्न है।
- (5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रुप में संलग्न है।
- 2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.— (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अविध के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।
- (2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हों के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।
- (3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-
 - (i) पर्यावरण;
 - (ii) वन और वन्यजीव;

- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व:
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज; और
- (xi) लोक निर्माण विभाग।
- (4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी-अनुकूल हों का संवर्धन करेगी।
- (5) आंचिलक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों की पुनः बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।
- (6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों और उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी और इस में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले अनुसमर्थित मानचित्र भी दिए जाएंगे।
- (7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।
- (8) आंचलिक महायोजना, प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी।
- (9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।
- 3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थातु:-
- (1) **भू-उपयोग.** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक

पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

- (ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।
- (2) प्राकृतिक जल स्रोतों.- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/निदयों/ जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सिम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।
- (3) पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।
- (ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।
- (ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।
- (घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।
- (ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे:-
- (i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

- (ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी-पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;
- (iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।
- (4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की

पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

- (5) मानव निर्मित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।
- (6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।
- (7) **वायु प्रदूषण.** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।
- (8) **बहिस्नाव का निस्सारण.** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।
- (9) ठोस अपशिष्ट.- ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपिशष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपिशष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।
- (10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट.- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.िन 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।
- (11) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (14) **यानीय यातायात.** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचिलक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचिलक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

- (15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।
- (16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 - (ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- (17) पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-
- (क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमित नहीं दी जाएगी।
- (ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	वर्णन	
	अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां।	 (क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनकों तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगी। (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा। 	
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्विन, आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।	
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।	

5. प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिस्र्यांव का निस्सारण। लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे। 6. नई आरा मिलों की स्थापना। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा। 7. जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग। लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपवंधित के सिवाय) होंगे। आत विनियमित क्रियाकलाप 8. वाणिज्यिक होटलों और रिसोटों की स्थापना। पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापां लघु अस्थायी संरचनाओं के सिव संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थिति संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक हो और रिसोटों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थिति संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, निस्ता पर्य महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा। 9. संनिर्माण क्रियाकलाप। (क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थिति संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:	4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।	5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
 आ. विनियमित क्रियाकलाप वाणिज्यिक होटलों और रिसोटों की स्थापना। पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिव संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थिति संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होत और रिसोटों को अनुजात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो स नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यः महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा। पंतिमर्गण क्रियाकलाप। (क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थिति संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीव क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उ विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे: परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिम क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्ष प्राधिकारी की पूर्व अनुमित से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनल	6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
 8. वाणिज्यिक होटलों और रिसोटों की स्थापना। श. पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिव संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थिति संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होत और रिसोटों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो स नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यः महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा। 9. संनिर्माण क्रियाकलाप। (क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थिति संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिख आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीव क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उ विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे: परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिम क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्ष्त प्राधिकारी की पूर्व अनुमित से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनल 	7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थिति संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होत और रिसोटों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो स नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यः महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा। 9. संनिर्माण क्रियाकलाप। (क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थिति संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिख आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीव क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उ विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे: परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिम क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्ष्प्राधिकारी की पूर्व अनुमित से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनत			
9. संनिर्माण क्रियाकलाप। (क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थित संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिख आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीब क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उ विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे: परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिम क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्ष प्राधिकारी की पूर्व अनुमित से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनत	8.		परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन
नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीब क्रियाकलापों सिहत अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उ विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे: परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिम् क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्ष्	9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी
(ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुस विनियमित होंगे।			नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उपविधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे: परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमित से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार
सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई न होगी।	10.	वृक्षों की कटाई ।	(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन
11. विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए ज और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	11.	और केबलों के बिछाए जाने और अन्य	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
12. विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों त सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा। संनिर्माण।	12.	सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।
13. पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।	13.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।

	गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	
14.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
15.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित ।
16.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्नाव का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपिशष्ट जल या बिहर्म्माव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपिशष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बिहर्म्माव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
17.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
18.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
19.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
20.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
21.	वाणिज्यिक संकेतबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
22.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
23.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
24.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
25.	फर्मों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे ।
26.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे और संबद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।
27.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
	इ. :	संवर्धित क्रियाकलाप
28.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
29.	वानस्पतिक बाड़ लगाना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	स्थानीय समुदायों द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के	स्थानीय जनता के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।

	साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	
33.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है ।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	निम्नीकृत भूमि/ वन / वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी सिमिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी सिमिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थातु:-

क्रम सं.	मानीटरी समिति का गठन	पद
1.	संबद्ध जिला कलेक्टर	अध्यक्ष,पदेन;
2.	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
3.	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
4.	पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	सदस्य;
5.	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
6.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
7.	उप क्षेत्र निदेशक, बुक्सा बाघ रिज़र्व (पश्चिम)	सदस्य;
8.	उप क्षेत्र निदेशक, बुक्सा बाघ रिज़र्व (पूर्व)	सदस्य- सचिव।

6. निर्देश निबंधन:- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

- (2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और तत्पश्चात् मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
- (3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

- (4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1533(अ) 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबंद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमो या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, उपाबंध-V में संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।
- 7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
- 8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/27/2016-ईएसजेड-आरई] डॉ. सतीश चन्द्र गढकोटी वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I


संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण


उत्तर	बुक्सा बाघ रिज़र्व की सीमा रेखा रंगमती खंड और कम्पार्टमेंट सं.1 पर (89.446382पू एवं 26.841404उ) में बिंदु 1 से आरंभ होती है जो कि इंडो-भूटान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपवर्ती है। इसके बाद रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के साथ बिंदु 1 के उत्तर पूर्वी दिशा से आरंभ होती है यह बाघ रिज़र्व सीमा पर बिंदु सी के 89.837339पू एवं 26.706353उ पहुंचती है। गबरूबस्ना नदी उत्तर पश्चिम कोण में रंगमती खंड से होते हुए बहती और संकोश नदी उत्तर पूर्व भाग से होते हुए बहती है।
पूर्व	पूर्वी पश्चिम बंगाल-असम सीमा की सीमा बुक्सा बाघ रिज़र्व के चरम दक्षिण पूर्व के निर्दिष्ट बिंदु सी (89.837339पू एवं 26.706353उ) के बीच विस्तारित है। संकोश नदी पूर्वी सीमा की सीमा बनाती है।
दक्षिण	दक्षिणी सीमा बिंदु 3 (89.564455 पू एवं 26.541582उ) से होते हुए बिंदु 2 (89.545187पू एवं 26.496731उ) से बिंदु 4 (89.444104पू एवं 26.550419उ) तक, पूर्व से पश्चिम होते हुए कृषि भूमि और चाय एस्टेट और राष्ट्रीय राजमार्ग (एन एच 31 सी) का मुख्यत: सीमांत है जो कि एन एच 31 सी से होते हुए जाती है।
पश्चिम	बाघ रिज़र्व की पश्चिमी सीमा में चाय एस्टेट जोयगांव टी.ई, टोरसा टी.ई., दलसिंहपारा टी.ई., बरानाबरी टी.जी.,सतली टी.ई. आदि और राज्य राजमार्ग (जोयगांव-नीमाती सड़क अर्थात् हीमील्टनगज) सीमांत है। पश्चिमी सीमा बिंदु 5(89.386578 पू एवं 26.742276उ) से होते हुए बिंदु 4(89.444104 पू एवं 26.550419उ) से बिंदु 1(89.446382 पू एवं 26.841404उ) तक चिन्हित है।


बुक्सा बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन 1 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की सीमा का विवरण

उत्तर	उत्तरी सीमा भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साझा करती है, यहां उत्तरी भाग के लिए (बिंदु बी से होते हुए 1 ए से बिंदु सी तक) पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित नहीं है।
पूर्व	पूर्वी भाग में उसी प्रकार, असम के साथ सीमा साझा करती है, पारिस्थितिकी संवेदी जोन प्रस्तावित (बिंदु डी और बिंदु ई से होते हुए बिंदु सी से बिंदु 2 तक) नहीं है।
दक्षिण	दक्षिणी भाग में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की दक्षिणी सीमा 2 ए (89.817306पू एवं 26.487556उ से बिंदु 4 ए (89.433086 पू एवं 26.545337उ) तक पारिस्थितिकी संवेदी जोन 1 किलोमीटर प्रस्तावित है।
पश्चिम	पारिस्थितिकी बिंदुओं की पश्चिमी सीमा, जो कि बिंदु 4 ए (89.433086 पू एवं 26.545337उ) से बिंदु 1 ए (89.342764 पू एवं 26.719434उ). तक 5 किलोमीटर से आरंभ होती है। चाय बगान के अलावा, पश्चिमी सीमांत जलदापारा वन्यजीव संभाग के वन क्षेत्रों के अंतर्गत आते है।

उपाबंध- II मुख्य बिंदुओं के अक्षांश और देशांतर के साथ बुक्सा बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र







उपाबंध-III

सारणी क: बुक्सा बाघ रिज़र्व के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	देशांतर (पू)	अक्षांश (उ)
1.	89.446382	26.841404
2.	89.845187	26.496731
3.	89.564455	26.541582
4.	89.444104	26.550419
5.	89.386578	26.742276

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	देशांतर (पू)	अक्षांश (उ)
1 क.	89.374433	26.855486
2 क.	89.817306	26.487556
3 क.	89.538275	26.540003
4 क.	89.433086	26.545337
5 क.	89.342764	26.719434

उपाबंध-IV भू-निर्देशांकों के साथ बुक्सा बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्र की सूची

क्र.सं.	ग्राम के नाम	अक्षांश	देशांतर
1	भुतरी	26 46 51.35उ	89 26 03.40पू
2	छुअपारा	26 43 07.70उ	89 25 52.74पू
3	दलबदल	26 42 47.71उ	89 23 56.69पू
4	सताली एम पारा	26 42 16.48उ	89 23 07.24पू
5	गंगुटिया	26 41 12.49उ	89 24 05.34प्
6	पुरबा सताली	26 40 53.63उ	89 23 12.12पू
7	उत्तर लताबारी	26 40 10.09उ	89 23 50.85प्
8	निमतिदबरी	26 39 13.02उ	89 26 27.09पू
9	दक्षिण लताबारी	26 38 22.39उ	89 25 41.34पू
10	निमति दोमोहानी	26 35 55.73उ	89 26 22.65पू
11	उत्तर पोरो	26 34 19.28उ	89 28 30.83प्
12	दक्षिण पारो	26 33 25.90उ	89 29 21.11पू
13	गरोबास्ति	26 37 25.77उ	89 31 43.47पू

14	पनीझोरा	26 36 58.62उ	89 32 49.79पू
15	पश्चिम गरम	26 33 42.33उ	89 31 13.06प्
16	उत्तर पटकापारा	26 32 53.49उ	89 26 10.57पू
17	फोस्कादांगा	26 32 52.30उ	89 28 08.16पू
18	सतकोदाली	26 32 54.96उ	89 29 31.49पू
19	बइरीगुरी	26 32 43.10ਤ	89 30 09.56पू
20	पश्चिम जितपुर	26 33 00.63उ	89 31 40.93पू
21	बंछुकुमारी	26 31 59.11ਤ	89 30 40.87पू
22	पूर्व गरम	26 32 59.11ਤ	89 32 40.69पू
23	उत्तर पनीअलगुरी	26 32 53.84उ	89 35 19.38पू
24	गदाधार	26 34 06.34उ	89 37 31.73पू
25	एन और एस धालकर	26 34 25.12उ	89 38 24.92पू
26	छिपरा	26 30 59.69उ	89 42 24.98पू
27	बारा चकरीबास	26 31 45.23उ	89 42 47.21पू
28	हेमगिरी	26 31 23.61ਤ	89 45 51.08पू
29	नुरपुर	26 38 54.44ਤ	89 41 15.52पू
30	तुरतुरी	26 38 52.55उ	89 43 52.43पू
31	लोकनाथपुर	26 37 45.95उ	89 43 23.96पू
32	दमसिबाद	26 38 07.16उ	89 40 51.28पू
33	उत्तर रामपुर	26 36 42.25उ	89 43 46.54पू
34	सिलतोंग	26 35 33.94उ	89 43 14.14पू
35	हेमगिरी	26 31 27.11उ	89 45 53.11पू
36	बरोबिसा	26 29 25.33उ	89 50 49.03पू
37	राधानगर	26 30 10.39उ	89 49 29.42प्
38	लपरागुरी	26 30 30.42उ	89 50 55.95प्
39	इनदुबस्ती	26 31 57.70ਤ	89 49 50.76प्
40	घोकसपारा	26 31 19.36उ	89 49 08.95प्
41	बेंगदुगी	26 31 26.89उ	89 50 49.01पू
42	धनतोली	26 34 46.22उ	89 48 11.44प्
43	चेंगमारी	26 35 54.93उ	89 48 10.55पू
44	तुरतुरी खांदा	26 40 21.74उ	89 44 46.75प्
45	अमरपुर	26 39 20.44उ	89 48 58.90प्
46	जोयदेवपुर	26 38 41.84उ	89 48 46.52प्

47	लाल्चांदपुर	26 37 59.77उ	89 48 30.17पू
48	मध्य हल्दीबारी	26 36 46.99उ	89 51 29.45पू
49	दखिन हल्दीबारी	26 35 49.24उ	89 51 00.09पू
50	पुरबा सलबारी	26 30 21.06उ	89 51 38.09पू

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का रूप विधान:

- 1. बैठकों की संख्या और तारीख।
- बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
- 3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
- भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
- 5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
- 6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
- 8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2020

S.O. 3031(E).— WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1942(E), dated the 11th June, 2019, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 11th June, 2019;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Buxa Tiger Reserve (B.T.R.) with an area of 760.87 square kilometre is located in the district of Alipurduar, West Bengal, It is harbouring, as a corridor for sustaining population of wild elephants in the North Bengal and Assam in between Sankosh and Torsha River, it also harbours gaurs, leopards, cats, other herbivores and many species of birds and butterflies, it has great significance in the forested landscape of Alipurduar district along with its Forest, riverine ecosystem and adjoining tea gardens and villages including their diverse ethnicities;

AND WHEREAS, Buxa Tiger Reserve comprises of the entire erstwhile Buxa Forest Division (702.44 km 2) and a part of cooch behar forest division 58.43 km 2 which was added subsequently, the reserve lies between latitude 26°30′ and 26°55′ N and longitudes 89°20′ and 89°55′ E;

AND WHEREAS, Buxa Tiger Reserve stretches over a length of 50 km. from west to east and 35 kilometer from north to south, the total area of the Reserve Forests is 760.87 km², of which 390.580km² has been constituted as wildlife sanctuary and National Park and the balance 370.29 km² areas as reserve forests and other protected forests;

AND WHEREAS, Buxa Tiger Reserve supports a number of species specified under Schedule-I of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) inter alia including, Indian elephant (*Elephas maximus*), guar (*Bos gaurus*), leopord (*Panthera pardus*), Indian rock python (*Python molurus*), Malayan giant squirrel (*Ratufa macroura*), leopard cat (*Prionailurus bengalensis*), fishing cat (*Felis viverrina*), Hill myna (*Gracula religiosa*), Indian peafowl (*Pavo cristatus*), Indian greyhornbill (*Ocyceros birostris*), etc.;

AND WHEREAS, for effective conservation and protection of these floral and faunal biodiversity of the Tiger Reserve, the extent of different anthropogenic pressures has to be regulated as the immediate area adjoining this fragile ecosystem is much ecologically sensitive having great impact on this Protected Area;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Buxa Tiger Reserve, which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent of Eco-sensitive Zone varying from zero (due to international boundary with Bhutan towards the northern boundary and inter-state boundary with Assam in the eastern side of the Protected Area) to 5 kilometers around Buxa Tiger Reserve in the State of West Bengal as Buxa Tiger Reserve Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

- **1. Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone. -** (1) The extent of Eco-sensitive Zone varying from zero (due to international boundary with Bhutan towards the northern boundary and Inter-state boundary with Assam in the eastern side of the Protected Area) to 5 kilometers around the Buxa Tiger Reserve and the area of the Eco-sensitive Zone is 583.15 square kilometers.
- (2) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I.**
- (3) The map of the Protected Area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is appended as **Annexure II.**
- (4) Lists of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-sensitive Zone are appended as Table **A** and Table **B** of **Annexure III**.
- (5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure IV**.
- **2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-
 - (i) Environment,
 - (ii) Forest and Wildlife,
 - (iii) Agriculture,
 - (iv) Revenue,
 - (v) Urban Development,
 - (vi) Tourism,
 - (vii) Rural Development,
 - (viii) Irrigation and Flood Control,
 - (ix) Municipal,
 - (x) Panchayati Raj, and
 - (xi) Public Works Department.

- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- **3. Measures to be taken by the State Government.** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
 - (1) Land use.— (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism or Eco-tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-Sensitive Zone:
- (e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
 - (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer:
 - Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;
 - (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism; ecoeducation and eco-development and based on the study of carrying capacity of the Eco-Sensitive Zone;
 - (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by the State Government whichever is more stringent.
- (9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
 - (i) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.
 - (ii) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) Bio-Medical Waste. Bio Medical Waste Management shall be as under:-
 - (i) The Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.
 - (ii) Safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

- (11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) E-waste.- The e waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) Vehicular traffic.— The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) Industrial units.— (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
 - (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.-** The protection of hill slopes shall be as under:-
 - (a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
 - (b) Construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.
- **4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife(Protection) Act, 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description			
	A. Prohibited Activities				
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption;			
		(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No. 435 of 2012.			
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines			

		issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.	
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.	
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.	
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.	
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.	
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.	
	ı	B. Regulated Activities	
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities:	
		Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.	
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:	
		Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents.	
		Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.	
		(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.	
10.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.	
		(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.	
11.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws of underground cabling may be promoted.	
12.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.	
13.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Ecosensitive Zone area by hot air	Regulated as per the applicable laws.	

	balloon, helicopter, drones,		
	Microlites, etc.		
14.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.	
15.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.	
16.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws.	
17.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.	
18.	Introduction of Exotic species.	Regulated as per the applicable laws.	
19.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.	
20.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.	
21.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.	
22.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.	
23.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.	
24.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.	
25.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except as otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.	
26.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws and the activity shall be strictly monitored by the concerned authority.	
27.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.	
	(C. Promoted Activities	
28.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.	
29.	Vegetative fencing.	Shall be actively promoted.	
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.	
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.	
32.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.	
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.	

34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely: -

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	Concerned District Collector	Chairman;
2.	A representative of Non-government Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
3.	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
4.	An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member;
5.	A representative from State Public Works Department	Member;
6.	A representative from State Pollution Control Board	Member;
7.	Deputy Field Director, Buxa Tiger Reserve (West)	Member;
8.	Deputy Field Director, Buxa Tiger Reserve (East)	Member- Secretary.

- **6. Terms of reference.** (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended as Annexure V.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- **7.** The Central Government and the State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- **8.** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/27/2016-ESZ-RE]

DR. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I


BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA


North	The boundary line of Buxa Tiger Reserve starts at a point Point 1 at (89.446382 E & 26.841404 N) on the Rangamati Block and compartment No.1 which is adjoining to the Indo-Bhutan International border. Then the line starts from point 1 to the North eastern direction all along the International boundary line till it reaches the point C at 89.837339 E & 26.706353N on the Tiger Reserve Boundary. The Gaburbasra river flows through Rangmati Block in the North West corner and river Sankosh flows through the North East part.
East	The eastern extent lies at the boundary of West Bengal-Assam border indicated by point C (89.837339 E & 26.706353 N) to the extreme South East of Buxa Tiger Reserve. The Sankosh river forms the boundary of the Eastern Flank.
South	The Southern boundary is mainly fringed by the agricultural field and Tea Estates and the National highway (NH 31C) running east to west, from point 2(89.545187E & 26.496731N) to Point 4 (89.444104E & 26.550419N) through point 3 (89.564455E & 26.541582N) through which passes the NH31C.
West	In the Western flank of the TR is fringed by Tea Estates Joygaon TE, Torsa TE, Dalsinghpara TE, Baranabari TG, Satali TE etc and the State Highway (Joygaon-Nimati Road via Hamiltangaj). The Western flank is marked from point 4 (89.444104E & 26.550419N) to point 1 (89.446382E & 26.841404N) through point 5 (89.386578E & 26.742276N)


BOUNDARY DETAILS OF 1 KILOMETRE AND 5 KILOMETRE ESZ OF BUXA TIGER RESERVE

North	The Northern boundary being shared with the International boundary with Bhutan, there is no Eco-sensitive declared for the Northern pat (From point 1a to Point C through Point B).
East	Similarly in the eastern part, having shared boundary with Assam, no ESZ has been proposed (Point C to Point 2 through Point D and Point E).
South	In the Southern part, 1 km ESZ has been proposed from 2a (89.817306E & 26.487556N) to point 4a (89.433086E & 26.545337N) as the southern boundary of the ESZ.
West	The ESZ of the Western flank, which is 5 km starts from point 4a (89.433086E & 26.545337N) to point 1a (89.342764E & 26.719434N). Apart from Tea Gardens, the Western fringe consists of forest areas of Jaladpara Wildlife Division.

ANNEXURE- II
MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BUXA TIGER RESERVE WITH LATITUDE AND
LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS







ANNEXURE-III

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations on Tiger Reserve boundary

S. No.	Longitude (E)	Latitude (N)
1.	89.446382	26.841404
2.	89.845187	26.496731
3.	89.564455	26.541582
4.	89.444104	26.550419
5.	89.386578	26.742276

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations on ESZ boundary

S. No.	Longitude (E)	Latitude (N)
1a.	89.374433	26.855486
2a.	89.817306	26.487556
3a.	89.538275	26.540003
4a.	89.433086	26.545337
5a.	89.342764	26.719434

ANNEXURE-IV
LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF BUXA TIGER RESERVE
ALONG WITH GEO-COORDINATES

S. No	Name of Village	Latitude	Longitude
1	Bhutri	26 46 51.35N	89 26 03.40E
2	Chuapara	26 43 07.70N	89 25 52.74E
3	Dalbadal	26 42 47.71N	89 23 56.69E
4	Satali M Para	26 42 16.48N	89 23 07.24E
5	Gangutia	26 41 12.49N	89 24 05.34E
6	PurbaSatali	26 40 53.63N	89 23 12.12E
7	Uttar Latabari	26 40 10.09N	89 23 50.85E
8	Nimatidabri	26 39 13.02N	89 26 27.09E
9	Dakshin Latabari	26 38 22.39N	89 25 41.34E
10	NimatiDomohani	26 35 55.73N	89 26 22.65E
11	North Poro	26 34 19.28N	89 28 30.83E
12	South Poro	26 33 25.90N	89 29 21.11E
13	Garobasti	26 37 25.77N	89 31 43.47E
14	Panijhora	26 36 58.62N	89 32 49.79E
15	West Garam	26 33 42.33N	89 31 13.06E
16	Uttar Patkapara	26 32 53.49N	89 26 10.57E
17	Phoskadanga	26 32 52.30N	89 28 08.16E
18	Satkodali	26 32 54.96N	89 29 31.49E
19	Bairiguri	26 32 43.10N	89 30 09.56E
20	Paschim Jitpur	26 33 00.63N	89 31 40.93E
21	Banchukumari	26 31 59.11N	89 30 40.87E
22	East Garam	26 32 59.11N	89 32 40.69E
23	Uttar Panialguri	26 32 53.84N	89 35 19.38E
24	Gadadhar	26 34 06.34N	89 37 31.73E
25	N & S Dhalkar	26 34 25.12N	89 38 24.92E
26	Chipra	26 30 59.69N	89 42 24.98E
27	Bara Chakribas	26 31 45.23N	89 42 47.21E
28	Hemagiri	26 31 23.61N	89 45 51.08E
29	Nurpur	26 38 54.44N	89 41 15.52E
30	Turturi	26 38 52.55N	89 43 52.43E
31	Loknathpur	26 37 45.95N	89 43 23.96E
32	Damsibad	26 38 07.16N	89 40 51.28E
33	Uttar Rampur	26 36 42.25N	89 43 46.54E
34	Siltong	26 35 33.94N	89 43 14.14E
35	Hemagiri	26 31 27.11N	89 45 53.11E

36	Barobisha	26 29 25.33N	89 50 49.03E
37	Radhanagar	26 30 10.39N	89 49 29.42E
38	Lapraguri	26 30 30.42N	89 50 55.95E
39	Indubasti	26 31 57.70N	89 49 50.76E
40	Ghoksapara	26 31 19.36N	89 49 08.95E
41	Bengdubi	26 31 26.89N	89 50 49.01E
42	Dhantoli	26 34 46.22N	89 48 11.44E
43	Chengmari	26 35 54.93N	89 48 10.55E
44	Turturi Khanda	26 40 21.74N	89 44 46.75E
45	Amarpur	26 39 20.44N	89 48 58.90E
46	Joydebpur	26 38 41.84N	89 48 46.52E
47	Lalchandpur	26 37 59.77N	89 48 30.17E
48	Madhya Haldibari	26 36 46.99N	89 51 29.45E
49	DakhinHaldibari	26 35 49.24N	89 51 00.09E
50	PurbaSalbari	26 30 21.06N	89 51 38.09E

Annexure -V

Performa of Action Taken Report:

- 1. Number and date of meetings.
- 2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
- 3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
- 4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
- 5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
- 6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
- 7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.